

न्यायालय विद्या कलाकार, बुक
पीछासीन अधिकारी - सिद्धार्थ मिश्रा, आई ए एम, विद्या कलाकार, बुक (आवृत्तमान)

अपील संख्या 12 सन् 2022

निर्णय दिनांक 09.03.2022

मनीहन्डलिङ्ग वालीड मिकारी सुचनास्य आउटवेडस तहसील रतनगड विद्या बुक

- प्राची

कथन

लोक सूचना अधिकारी (एस डी एम) रतनगड

- अग्रणीगण

अपील अन्तर्गत धारा 8(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

- निर्णय -

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्राची अपीलांत की अनुयायिनिनांक 11.02.2022 की लोक सूचना अधिकारी (एस डी एम) रतनगड को एक आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1) की अन्तर्गत पेश किया। निर्धारित समयान्तर में लोक सूचना अधिकारी (एस डी एम), रतनगड द्वारा प्राची अपीलांत को सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी। इस कारण प्राची अपीलांत में प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई एव अपीलांत व रेस्पोंडेन्ट की तथ्यी की गई।

लोक सूचना अधिकारी (एस डी एम) रतनगड से दिनांक 21.02.2022 को अपील के तथ्य व प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ की आवेदक द्वारा चाही गई सूचना तहसील कार्यालय, रतनगड के पत्रांक 21 दि. 14.02.2022 के द्वारा उपलब्ध करा दी जा चुकी है।

सुनवाई के दौरान अपीलांत व रेस्पोंडेन्ट दोनों अनुपस्थित रहे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त प्रत्युत्तर पर सन्तुष्ट किया गया। चूंकि चाही गई सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलांत की उपलब्ध कराई जा चुकी है। अतः अपील खारिज की जाती है।

पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर में से कम की जाकर नियमानुसार दायित्व कथन है।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।



(सिद्धार्थ मिश्रा)
विद्या कलाकार,
बुक